संख्या: 339/XII/2011/83(04)/2010–TC–I

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0अभि0 से0 अनु0–2 देहरादून दिनांक:: 13 अप्रैल,2011

विशय– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की बचनबद्ध मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या: 210/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011, के क्रम में मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के अधीन अधिष्ठान की वचनबद्ध मानक मद यथा–वेतन, मजदूरी महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, किराया उपशुल्क, आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि कुल रु0 190020 हजार (उन्नीस करोड़ बीस हजार मात्र) की धनराशि नि[illegible]के निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपा[illegible] निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रमांक	मद	धनराशि
1	01– वेतन	110000
2.	02– मजदूरी	1200
3.	03– महंगाई भत्ता	66000
4.	06– अन्य भत्ते	12100
5.	09– विद्युत देय	370
6.	10– जलकर/ जल प्रभार	100
9.	17– किराया उपशुल	250
	योग–	190020

–19,00,20,000.00(रु[illegible] उन्नीस करोड़ [illegible] हजार मात्र)

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि की फॉट मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अविलम्ब कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा ज़ाना सुनिश्चित करेगें।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्वतन पर रखी गयी धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त की जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के सम्बन्ध में त्रैमास आधार पर किश्तों में बजट प्राविधान के 1/4 अंश की धनराशि अथवा सम्बन्धित त्रैमास हेतु वास्तविक रूप से आवश्यक धनराशि, जो भी कम हो, का प्रस्ताव तत्काल शासन को त्रैमास के सापेक्ष उपलब्ध कराया जाय।

4. आयोजनागत पक्ष की योजनाओं एवं नये कार्यो के प्रस्ताव की स्वीकृति परिव्यय एवं बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत नियोजन/वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी। आयोजनेत्तर पक्ष में भी नये कार्यो/नये निर्माण कार्यो की स्वीकृतियों पर वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत की जायेगी।

5. आयोजनागत पक्षान्तर्गत राजस्व मद में चालू योजनाओं की स्वीकृतियॉ उपरोक्त बिन्दु–3 में वर्णित व्यवस्थानुसार परिव्यय अथवा बजट जो भी कम हो, उसकी सीमान्तर्गत निर्गत की जायेगी। इस प्रकार के प्रकरणों में स्वीकृति हेतु यह भली भॉति सुनिश्चित कर लेंगे कि गत स्वीकृतियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति तथा उपभोग प्रमाण पत्र उपल[illegible]या जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि [illegible] की प्रगति [illegible]के आउटपुट एवं आउटकम स्वीकृत योजना के [illegible] के अनुरूप ही है और जिन मामलों में ऐसा नहीं पाया जाता उन [illegible]नाओं का मूल्यांकन कराकर उन्हें अग्रेत्तर चलाये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा।

6. आयोजनागत पक्ष की उन चालू योजनाओं जिन्हें पॉच वर्ष पूर्ण हो गये हैं अथवा जिनमें मुख्य शीर्षक में रू0 5.00 करोड़ (रूपये पॉच करोड़ मात्र) या उससे अधिक बजट प्राविधान है, के सापेक्ष स्वीकृतियॉ वित्त विभाग की पूर्व सहमति से निर्गत की जायेगी।

7. आयोजनागत पक्ष की चालू योजनायें जिन्हें पॉच वर्ष या अधिक हो गया है, का मूल्यॉकन स्वतंत्र रूप से नियोजन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा तथा मूल्यॉकन के फलस्वरूप उन योजनाओं के सम्बन्ध

में नियोजन एवं वित्त विभाग के परामर्श से अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।

8. आयोजनागत पक्ष की प्रत्येक योजना (आयोजनेत्तर पक्ष के सापेक्ष भी) का नियमित आधार पर अनुश्रवण/समीक्षा उनके आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा और यदि वॉछित आउटकम/आउटपुट की उपलब्धि नहीं होती/ पाई जाती है तो उनके संबंध में पुनर्विचार किया जाय।

9. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाय एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित की जाय कि कुल बजट प्राविधान के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यों पर ही व्यय किया जाय एवं नये निर्माण कार्यों पर 20 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की जाय। चालू निर्माण कार्यों हेतु धनावंटन करते समय उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाय, जो कम समय एवं धनराशि में ही पूर्ण कर उपयोग में लाये जा सकते हैं।

10. नये वाहन क्रय मद की धनराशि पृथक से औचित्यपूर्ण एवं पुष्ट प्रस्ताव के आधार पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त ही निर्गत की जायेगी। प्रतिस्थापन आधार पर वाहन क्रय करने के अलावा नये वाहन क्रय करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

11. बजट प्राविधान के किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

12. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेंजिग (त्रैमास के आधार पर) उपलब्ध करायी जाय। जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में कठिनाई उत्पन्न न हों। धनराशि का आंहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाय तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जाय।

13. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गन्त धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत भासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

15. निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के संभावित व्यय की फेजिंग करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को अवगत करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

16. जिन अनुदानों में राजस्व अथवा पूँजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011–12 में एकमुश्त व्यवस्था का प्राविधान है, ऐसी स्वीकृतियों को जारी किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल के पैरा–94 मे उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. सामान्यः केन्द्र पोषित योजनाओं के राज्यॉश की धनराशि केन्द्रॉश धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगी। जिन केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की वचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त अग्रिम तौर पर आंशिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

18. **प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/वाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रॉश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से** प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय।

19. जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, में विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करेगें। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय ताकि इन के अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

20. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

21. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0

13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

बाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पशल कम्पोनेन्ट प्लान, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये ट्राइबल सब प्लॉन के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान की स्वीकृति तत्परता से निर्गत की जाय। बाहय सहायतित योजनाओं के संबंध में डोनर ऐजेन्सी एवं भारत सरकार के साथ सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हों, यह सुनिश्चित कर ली जाय, यह सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

23. वे विभाग जहॉ केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होते ही एक प्रोक्योरमेन्ट प्लॉन बनाते हुए उसकी प्रति वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इस संबंध में कार्यवाही दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक प्रत्येक दशा में कर ली जाय।

24. व्यय करते समय मित्तव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और आयोजनेत्तर पक्ष में बचत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय।

25. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो निर्माण कार्य आरम्भ हो चुके हैं, वे यथा शीघ्र पूर्ण किये जाय। इस प्रकार स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण संलग्न दिनॉक 16–7–2009 के संलग्न प्रपत्र–1 से 4 पर वित्त/नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराये जाय।

26. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय।

27. बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम0–17 पर आंवटन संबंधी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे। अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नही किया जायेगा; जिसके लिए संबंधित उत्तरदायी होंगें।

28. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर लिया जाय। तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेजा जाय।

29. विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनोदशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

31. प्रायः यह देखने मे आया है कि बड़ी संख्या में वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह एवं उसके भी उत्तरार्द्ध में प्रस्तावित की जाती हैं। जो आपत्तिजनक है। इससे धनराशि बैंकों में पार्किंग करने की परिस्थिति से ओवर ड्राफ्ट की स्थिति भी बन जाती है। अतः वित्तीय वर्ष के अन्त में अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने एवं साथ ही साथ योजनाओं एवं कार्यों की पूर्ति समय से सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी स्वीकृतियॉ समय से परन्तु प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर, 2011 तक निर्गत करा ली जाय।

32. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का ससमय उपयोग करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को दिनॉक 31–3–2012 के उपरान्त समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाली व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष की अनुदान सख्या–19 के तहत उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की बचनबद्ध मदों की मानक मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII (1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 339 (1)/XII/2011/83(04)/2010–TC–I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।

2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।

3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
13– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आर0 पी0 फुलोरिया)
संयुक्त सचिव